न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 47/2012 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2012/00006

उनवान

बनवारी लाल पुत्र शंकरलाल एवं श्रीमती गंजो उर्फ बरफी पुत्री भवानी पत्नी शंकरलाल जाति जाटव निवासी सैमरा, तहसील रूपवास जिला भरतपुर हाल आबाद ग्राम बसेरी चाहर तहसील किरावली जिला आगरा।

.....अपीलांट।

बनाम

1. किशनलाल पुत्र भवानी (मृतक)
   1/1. मुंशी पुत्र स्व0 माता सुआ पुत्री भवानी पत्नी स्व0 सुक्का, जाति जाटव, हाल निवासी मुहमदपुर तहसील किरावली जिला आगरा उत्तर प्रदेश।
2. कंचनिया पत्नी स्व0 छिद्दाराम पुत्री भवानी।
3. बिजेन्द्र सिंह } पुत्रान स्व0 छिद्दाराम।
4. रजनी सिंह }

   सभी जाति जाटव निवासी नगला सूपा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 11.04.12 प्र.संख्या 238/11 उनवानी बिजेन्द्र सिंह बनाम कंचनिया वगै0।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोंडेंट श्री दिनेश शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–17.06.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 03 व 04 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम चक गूजर बलाई व सेमरा माफी तहसील रूपवास में स्थित है जो वादीगण/रैस्पो0 संख्या 03 व 04 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त आराजीयात पर वादीगण/रैस्पो0 संख्या 03 व 04 का अपने पिता छिद्दाराम के जीवनकाल से कब्जा काश्त रहा है। प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार कभी नहीं रहा है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजीयात के इन्द्राज प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 के नाम गलत रूप से दर्ज हो रहे हैं। वादीगण/रैस्पो0 संख्या 03 व 04 ने जब प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 से विवादित आराजीयात का अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने की कहा तो वह साफ इंकारी हो गये एवं विवादित आराजी से वादीगण/रैस्पो0 संख्या 03 व 04 को बेदखल करने एंव दीगर जगह रहन, वय, मुन्तकिल करने की धमकी देने लगे। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। दौराने दावा वादी व प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद मुताबिक राजीनामा अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. धारा 96 सीपीसी में अपीलाण्ट का तर्क है कि विवादित आराजीयात अपीलाण्ट के नाना भवानी की खातेदारी की भूमि है जिसमें अपीलाण्ट की मॉ श्रीमती गंजो उर्फ बरफी का 1/3 हिस्सा है तथा उसकी मृत्यु के बाद अपीलाण्ट विरासत से उसके हिस्से का खातेदार है। चूंकि अपीलाण्ट के विवादित आराजी में हित निहित हैं एवं अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं था। अतः धारा 96 सीपीसी के तहत अपील ग्रहण किये जाने का निवेदन किया।

3. अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने के कारण, विचाराणार्थ ग्रहण की जाकर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि एडवर्स पजेशन के आधार पर रैस्पो0 संख्या 03 व 04 को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रथम तो एडवर्स पजेशन साबित नहीं है, द्वितीय मॉ व पिता के विरूद्ध कोई एडवर्स पजेशन नहीं हो सकता है, तृतीय एडवर्स पजेशन के आधार पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः निर्णय व डिक्री अवैधानिक एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्योंकि एडवर्स पजेशन के प्रकरण में राजीनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। विवादित आराजी में अपीलाण्ट 1/3 हिस्से का खातेदार है एवं रैस्पो0 संख्या 01 व 02 को अपीलाण्ट के हिस्से पर राजीनामा देने का कोई अधिकार नहीं है अतः राजीनाम बाइड दस्तावेज है। रैस्पो0 संख्या 03 व 04 राजस्थान काश्तकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अधिनियम की किसी भी प्रावधान के तहत अपने आपको खातेदार साबित नहीं कर सके हैं। मियाद बाबत् अधिवक्ता अपीलाण्ट का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश उनकी बैक पर पारित हुआ है एवं अपीलाण्ट को जानबूझकर पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने के कारण, अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी। दिनांक 20.06.2012 को हल्का पटवारी द्वारा बताये जाने पर अपीलाण्ट को उक्त आदेश की जानकारी हुयी। अतः जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवदेन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। अपीलाण्ट ने अपील मियाद बाहर पेश की है एवं अपीलाण्ट ने जानकारी की दिनांक 20.06.2012 से प्रत्येक दिन का विलम्ब स्पष्ट नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य रहती है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार कभी नहीं रहा है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है एवं ना ही उसकी मॉ का ही कब्जा काश्त था चूंकि अपीलाण्ट की मॉ, विवादित आराजीयात के पूर्व खातेदार भवानी के जीवनकाल में ही फौत हो चुकी थी। अतः अपीलाण्ट की मॉ एवं अपीलाण्ट का विवादित आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस प्रकार अपीलाण्ट के विवादित आराजी में कोई हित निहित नहीं है एवं उन्हें धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अतः अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. जवाबी बहस में अभिभाषक अपीलाण्ट का तर्क है कि रैस्पो0 द्वारा अपीलाण्ट के शपथ पत्र धारा 05 परिसीमा अधिनियम एवं धारा 96 का कोई जवाब पेश नहीं किया है एवं ना ही अपीलाण्ट के उक्त शपथ पत्रो को झूठा साबित करने हेतु अपना कोई शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया है। अतः बिना जवाब व शपथ पत्र, अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रो में अंकित तथ्यों को सही माना जावेगा।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2045–48, 2065–2068 में अंकित विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार भवानी एवं भवानी की मृत्यु उपरांत उनके वारिसान् रैस्पो0 किशनलाल पुत्र भवानी व कंचनिया पुत्री भवानी दर्ज रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर रैस्पो0 संख्या 03 व 04 को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। हम पाते हैं कि वादी रेस्पोंडेंट संख्या 03 व 04 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि पर वह अपने पिता छिद्दाराम के जीवनकाल से कब्जा काश्त है। प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 का कोई कब्जा काश्त आराजी पर नहीं है। राजस्व रिकार्ड में गलत इंद्राज प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 के नाम हो रहे हैं। अतः वादी को विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में इंद्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोंडेंट संख्या

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03 व 04 का दावा अपीलाधीन निर्णय से डिक्री किया गया है। अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कतई विवेचनात्मक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र प्रतिवादी के राजीनामा को अपने निर्णय का आधार बनाया है। वादी ने अपना दावा किस प्रकार सिद्ध किया है, कतई विवेचन नहीं किया है। वादी ने शपथ–पत्र के माध्यम से अपना बयान दर्ज करवाया है, जिसमें वाद पत्र के कथनों को दोहराया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के नाम पर केवल जमाबंदी संवत् 2066–69 प्रस्तुत की है जिसमें खातेदार रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 किशनलाल व कंचनिया का अंकन है। वादी के वाद को सिद्ध करने के लिए उक्त साक्ष्य कतई प्रासंगिक नहीं है। वादी रेस्पों. द्वारा दावा मात्र कब्जे के आधार पर प्रस्तुत किया है परंतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार सृजन/हस्तांतरण का प्रावधान नहीं है। यह कब्जा विधि अनुरूप होना आवश्यक है। वादी ने अपने कथित कब्जे का कोई दस्तावेज व स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जहां तक राजीनामा का प्रश्न है, कथित राजीनामा कतई विधि अनुरूप मान्य नहीं है। राजीनामा के माध्यम से प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 ने वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 03 व 04 को अपने अधिकारों का हस्तांतरण किया है। न्यायालय इस प्रकार के हस्तांतरण को मूक रह कर नहीं देख सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 41, 42 अनुसार खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण केवल मात्र विक्रय, दान अथवा वसीयत से ही हो सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में तीनों ही माध्यम नहीं हैं। अतः खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण अवैध व शून्य है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट स्वयं को विवादित आराजी के पूर्व खातेदार भवानी की पुत्री गंजो उर्फ वरफी का पुत्र बताता है। जिसका निस्तारण साक्ष्य परीक्षण के पश्चात ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर पुनः परीक्षण किया जाना विधिक अपेक्षा है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः उभयपक्ष की सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के लिए प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 11.04.2012 निरस्त किये जाकर, प्रकरण पुनः उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये, विधि अनुसार तार्किक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर